

## राजस्थान सरकार

### सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 21(1)साप्र/2/16

जयपुर, दिनांक : 21/2/2017

—: आदेश :—

निम्न को उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/पारस्परिक परिवर्तन किया जाता है:—

क्र. सं.	वरि. सं.	नाम व पद	वर्तमान आवास	परिवर्तित आवास	सेवानिवृति दिनांक
1.	174 / 1994 पंचम श्रेणी	श्री दीपक सोनी, अनुभागाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर	5 / 180, गांधीनगर (पुराना नं. जी-950)	5 / 181, गांधीनगर (पुराना नं. जी-951)	31.1.2033
2.	126 / 2001 पंचम श्रेणी	श्री दीपक दरिया, सहायक अनुभागाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर	5 / 181, गांधीनगर (पुराना नं. जी-951)	5 / 180, गांधीनगर (पुराना नं. जी-950)	31.1.2036

शर्त :—

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्ताव करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

४०  
(इन्द्र सिंह राव)  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- विशेषाधिकारी(एस), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके अशा.टीप.क्रमांक.मु.म—विशेषाधिकारी (एस)/प-2सप्रवि/जय/17/3557 दिनांक 24.1.2017 के क्रम में।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से उनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने वां श्रम करावें।
- अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (मुख्यालय) जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चार्चा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भेजवाये।
- श्री दीपक सोनी, अनुभागाधिकारी, शासन सचिवालय, निवासी-5/180, गांधीनगर को भेजकर लेख है कि नव आवंटित आवास का कब्जा लेकर कर इस विभाग को सूचित करावें।
- श्री दीपक दरिया, सहायक अनुभागाधिकारी, निवासी-5/181, गांधीनगर को भेजकर लेख है कि नव आवंटित आवास का कब्जा लेकर कर इस विभाग को सूचित करावें।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्रावली।

  
शासन संयुक्त सचिव